

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 9/2019

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये  
प्रवर्तन अधिकारी चौहटन  
मुख्यावास बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

मांगीलाल पुत्र बाबूलाल, मैसर्स रामदेव  
भोजनालय, जैसलमेर रोड, बाड़मेर शहर  
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक : 19.11.2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 01.11.2018 को श्री खेमराम प्रवर्तन अधिकारी चौहटन मुख्यावास बाड़मेर ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स रामदेव भोजनालय, जैसलमेर रोड के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर फर्म मालिक अप्रार्थी श्री मांगीलाल उपस्थित मिला। उक्त प्रतिष्ठान में भोजन बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो निम्न घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है-

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	915151-टी व 344885-टी	आईओसीएल	20.200 किग्रा व 15.900 किग्रा	15.200 किग्रा व 15.800 किग्रा	5.000 किग्रा व 0.100 किग्रा

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलु उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। उक्त गैस सिलेण्डर को मैसर्स बाड़मेर गैस ऐजेन्सी बाड़मेर को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के

*Amh*

जिला कलक्टर  
बाड़मेर

खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की तलबी हेतु जारी पंजिबद्ध नोटिस अदम तामील प्राप्त नहीं होने पर तलबी पर्याप्त मानते हुए बावजूद सूचना अप्रार्थी अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुना गया।
3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये हैं जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी की ओर से बावजूद सूचना कोई जवाब एवं प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किये जाना अप्रार्थी की मौन स्वीकारोक्ति प्रकट करता हैं। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन में पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रवीकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।
5. आदेश आज दिनांक 19.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Ansh*  
( अंशदीप )  
जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

